



324/11

# राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027

Website-sudaup.org

पत्रांक : 7838/28/76/एक/2018-19  
सेवा में,

दिनांक : 10 दिसम्बर 2018

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,  
जिला नगरीय विकास अभिकरण  
जनपद-मऊ।

विषय : मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण  
महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में आपके जनपद को मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत (अनुदान संख्या-37/83) में शासन द्वारा स्वीकृत की गई निम्न परियोजनाओं की प्रथम किश्त की धनराशि निम्नलिखित विवरण के अनुसार अवमुक्त की जा रही है:-

धनराशि का प्रेषण (लाख ₹0 में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
यूनियन बैंक आफ इण्डिया	433802011001024	IFSC Code UBIN0558605	✓ 161.868

(धनराशि लाख ₹0 में)

क्र०सं०	जनपद का नाम	अनुदान संख्या	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण (प्रथम किश्त)
1	मऊ	मु०अ०-37	न०पा०प० मऊ	वार्ड नं० 28 द०पू० सहादतपुरा 5वीं गली से डा० योगेन्द्र यादव के हास्पिटल तक इण्टरलाकिंग रोड एवं नाली निर्माण का कार्य।	5.196
2	मऊ	मु०अ०-37	न०प० चिरैयाकोट	वार्ड नं० 09 मो० मनाजीत, बैजनाथ नगर में सेंट फ्रांसिस स्कूल से सोनकर राम के घर होते हुए कुड़ियारी पोखरी तक इण्टरलाकिंग तथा कवर्ड नाली का निर्माण कार्य।	9.133
3	मऊ	मु०अ०-37	न०प० चिरैयाकोट	वार्ड नं० 10 मो० दरिया पट्टी में आजमगढ़ गाजीपुर मार्ग से जमुना डाक्टर का घर होते हुए नहर तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	7.634
4	मऊ	मु०अ०-37	न०प० चिरैयाकोट	वार्ड नं० 10 मो० दरिया पट्टी में आजमगढ़ गाजीपुर मार्ग से राजभर बस्ती होते हुए नहर तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	8.288
5	मऊ	मु०अ०-37	न०प० चिरैयाकोट	वार्ड नं० 10 मो० दरिया पट्टी में रामसबद के घर से पूजन राजभर के घर तक इण्टरलाकिंग कवर्ड नाली का निर्माण कार्य।	11.041
6	मऊ	मु०अ०-37	न०प० चिरैयाकोट	वार्ड नं० 10 मो० दरिया पट्टी में रामदास राजभर के घर से नहर तक इण्टरलाकिंग तथा कवर्ड नाली का निर्माण कार्य।	7.656
7	मऊ	मु०अ०-37	न०प० चिरैयाकोट	वार्ड नं० 06 मो० मोलनागंज में मखनू सेठ के घर से मकरवा तक इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	6.926



324/2

# राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027

Website-sudaup.org

क्र०सं०	जनपद का नाम	अनुदान संख्या	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण (प्रथम किरत)
8	मऊ	मु०अ०-37	न०प० चिरैयाकोट	वार्ड नं० 06 मो० मोलनागंज में चिरैया कोट चौक से कुटिया मार्ग से कल्लन अन्सारी के घर तक इण्टरलॉकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	6.579
9	मऊ	मु०अ०-37	न०प० चिरैयाकोट	वार्ड नं० 08 मो० अब्दोपुर में तेदुआ पिच रोड से पूरब दलित बस्ती बस्तियार चक बार्डर तक इण्टरलॉकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	10.668
10	मऊ	मु०अ०-37	न०प० चिरैयाकोट	वार्ड नं० 08 मो० अब्दोपुर में तेदुआ पिच रोड से चन्द्रजीत का घर होते हुए सुरेन्द्र यादव के घर तक इण्टरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य।	10.672
11	मऊ	मु०अ०-37	न०प० चिरैयाकोट	वार्ड नं० 08 मो० अब्दोपुर में शिव के घर से लौटू के घर तक इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	7.371
12	मऊ	मु०अ०-37	न०पा०प० मऊ	वार्ड नं० 28 मो० सहादतपुरां में हरिनारायण के घर के उत्तरी व दक्षिणी तक नाली व इण्टरलॉकिंग का कार्य।	8.550
13	मऊ	मु०अ०-37	न०पा०प० मऊ	वार्ड नं० 28 मो० सहादतपुरां में पंचानन्द के मकान से पिच रोड तक नाली व इण्टरलॉकिंग का कार्य।	5.761
14	मऊ	मु०अ०-37	न०पा०प० मऊ	वार्ड नं० 28 मो० ख्वाजाजहांपुर कोल्हाण में बन्धे के नीचे से मन्शा के बाउण्डी के आगे तक नाली व इण्टरलॉकिंग का कार्य।	4.733
15	मऊ	मु०अ०-37	न०पा०प० मऊ	वार्ड नं० 28 मो० ख्वाजाजहांपुर कोल्हाण में पुलिया से बन्धा होते हुए राजभर बस्ती तक नाली व इण्टरलॉकिंग का कार्य।	7.723
16	मऊ	मु०अ०-37	न०पा०प० मऊ	वार्ड नं० 15 मो० इमिलिया में नागेश श्रीवास्तव से अजय सिंह, मकबूल, चन्दकान्त और बृहस्पति सिंह से संजय सिंह तक नाली व इण्टरलॉकिंग कार्य।	2.918
17	मऊ	मु०अ०-37	न०पा०प० मऊ	वार्ड नं० 28 सहादतपुरा में श्रीमती लालमुनी देवी गुलाबी देवी होते हुए कलावती तक नाली व इण्टरलॉकिंग का कार्य।	2.856
18	मऊ	मु०अ०-37	न०पा०प० मऊ	वार्ड नं० 02 मो० बरपुर में जे०पी० सिंह के मकान से शशि प्रकाश सिंह एडवोकेट के मकान से भीम प्रकाश के मकान होते हुए डा० रामदरश के मकान तक मिट्टी, नाली पटिया व इण्टरलॉकिंग कार्य।	11.317
19	मऊ	मु०अ०-37	न०पा०प० मऊ	दूरदर्शन केन्द्र से बाउण्डी से राकेश कुमार सिंह के घर तक नाली व इण्टरलॉकिंग का कार्य।	11.135
20	मऊ	मु०अ०-37	न०पा०प० मऊ	मो० बकवल में रामदेव चन्देल के घर से मेन रोड तक नाली व इण्टरलॉकिंग का कार्य।	3.670
21	मऊ	मु०अ०-37	न०पा०प० मऊ	मो० बकवल में विजय मोटर से सुशीला के घर तक नाली व इण्टरलॉकिंग का कार्य।	8.359

*(Handwritten signature)*



# राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027

Website-sudaup.org

क्र०सं०	जनपद का नाम	अनुदान संख्या	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण (प्रथम किरत)
22	मऊ	मु०अ०-37	न०पा०प०मऊ	मो० कल्पनाथ नगर में दिनेश चौहान के मकान से योगेश्वर राय के मकान के आगे तक नाली व इण्टरलॉकिंग का कार्य।	2.246
23	मऊ	मु०अ०-37	न०पा०प०मऊ	वार्ड नं० 06 परदहां द० पिच रोड से अखण्ड प्रताप के घर तक नाली व इण्टरलॉकिंग का कार्य।	1.436
	योग				161.868

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:-

- 1- उ०प्र० सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना हेतु स्वीकृत डी०पी०आर०/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जाये। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।
- 2- स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।
- 3- प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्यक प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।
- 4- अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 5- स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता/पुरातत्व विभाग आदि के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।
- 6- प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।
- 7- परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख-रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।
- 8- योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2018-19 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित ब्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।
- 9- उक्त धनराशि डूबा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।



# राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027  
Website-sudaup.org

- 10- प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
- 11- अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्ययवर्तन अनुमन्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के कम में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अंकित कार्यों में यदि कार्य/धनराशि की दैरावृत्ति हो रही हो तो उसका भुगतान न करते हुये उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 12- शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगणन के सापेक्ष 50 प्रतिशत की प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुमन्य सेन्टेज की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष भौतिक प्रगति सहित अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(साजिद आजमी)  
वित्त नियन्त्रक

## पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक/परि० अधि०, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
2. कार्यक्रम अधिकारी, सूडा।
3. कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग-सूडा।

(साजिद आजमी)  
वित्त नियन्त्रक